MAP

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।
पत्रांक: संख्या– 3 डी0डी0/फा0 स0/ (मेरठ–13 जीबीएन) /201 दिनांक फरवरी 11 2013
सेवा में

प्रबंधक,
मैसर्स प्रेमवती कुंजीलाल जैन सरस्वती विद्या मन्दिर बिलासपुर,
ग्रेटर नोएडा।

विषय: **मैसर्स प्रेमवती कुंजीलाल जैन सरस्वती विद्या मन्दिर बिलासपुर, में निर्मित एजुकेशनल भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ: 1–मुख्य सचिव उ0प्र0शासन, शिक्षा (06) अनुभाग का शासनादेश संख्या 1528/79–6–08 दिनांक 20–07–2009
2–मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जन हित याचिका संख्या 483/2004 अवनीश कुमार महरोत्रा बनाम यूनियन आफ इन्डिया एवं अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13–04–2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालेजों में अग्नि सुरक्षा शासनादेश संख्या 1801/15–7–09–1(124)/ 2009 दिनांक 20–07–2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

कृपया अपने आवेदन पत्र दिनांक 24–01–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से निर्मित स्कूल भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 मे उल्लेखित शैक्षिक भवनों के लिए प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप भवन का निरिक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा से कराया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या दिनांक 06–02–2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 06–02–2013 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:–

ए0–प्रश्नगत भवन की नवीन मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

भवन की संरचना:–
1–कुल प्लाट एरिया–3000.00वर्ग मी0
2–निर्मित भूतल कवर्ड तल एरिया–946.77 वर्ग मी0 है।
3–भवन की ऊचाई–05.00 मी0 है।

ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था:–
1–पहुँच मार्ग– प्रश्नगत स्कूल भवन 05.20 मी0 चौडे रोड पर स्थित है जिस पर फायर सर्विस वाहन आ जा सकते हैं।
2–प्रवेश द्वार 5.00 मी0 उपलब्ध है।
3–सैटबेक–
1–अग्रभाग–27.00 मी0
2–पृष्ठभाग–04.00 मी0
3–पार्श्व भाग प्रथम–02.30 मी0
4– पार्श्व भाग प्रथम–03.30 मी0

उपरोक्त भवन के सैटबेक एन0बी0सी0 के अनुसार पर्याप्त है।

अग्निशमन व्यवस्था:–
1–**फायर एक्सटिंग्यूशर:–** फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित किये गये है।
2– अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धकों द्वारा नियमानुसार करायी जा रही है।
3– अग्निशमन पद्धिति का अनुरक्षण–प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफलिंग नियमानुसार कराया जा रहा है।

अतः उरोक्तानुसार विषयगत स्कूल को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता

Scanned by CamScanner

1–वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

2–वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रतिवर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

3–स्कूल की ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुँच मार्ग, सैटबेक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

4–स्कूल में भोजन / मिड–डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।

5–उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन को अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(असन्...)
(अमन शर्मा)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ
मेरठ परिक्षेत्र

प्रतिलिपि–1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।